

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर (SDO) बायलु..... मुकाम.....

..... श्री माराम बनाम अज्ञात वगैरे
किस्म मुकदमा..... 270 आवेदन नं..... 196/2022 सन् 2022.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/05/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>रिणधानाम प्रियकर</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 120</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>20/6/22</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (SDO) बायलु</p>	
20/6/2022	<p><u>प्रार्थी वकील उपरिक्त। विप्रार्थी- गणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्ट्रर एडी मिजबूये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार टोकर पत्रावली दिनांक - 27/06/2022 को पेश है।</u></p> <p style="text-align: right;">उपरोक्त अधिकारी बायलु जिम्मेदार</p>	

अज अदालत उपरवण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज

न्यायालय उपखण्ड
प्राथी

27/06/2017

प्राथी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये, जिनको करीब एक माह से अधिक समय हो चुका है, न्यायालय समय में अलग अलग तीन समय में विप्रार्थीगण को आवाज लगाई गई आवाज लगाने के बावजूद विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है, प्राथी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्राथी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्राथी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्राथी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्राथी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्राथी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्राथी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्राथी अधिवक्ता के निवेदन पर प्राथी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्राथी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

अधिवक्ता अधिकारी बायतु
जज बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1164

दिनांक : 27/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. भोमाराम पुत्र करनाराम,
जाति जाट, निवासी भादुओं की
ढाणी, पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. जगदीश पुत्र मेहरूराम वगैरा 14,
जाति जाट, निवासी माडपुरा सानी,
पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला,
तहसील बाड़मेर (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 196 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - भादुओं की ढाणी, पटवार मण्डल - माडपुरा बरवाला, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 166/78, 169/82 रकबा क्रमशः 1.7474, 3.9398 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक : वाद / 2022 / 1165-69

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का माडपुरा बरवाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री भोमाराम पुत्र करनाराम,
4. विप्रार्थी श्री जगदीश पुत्र मेहरूराम वगैरा 14,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिडा/नागाणा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर

दिनांक : 27/06/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर